भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 190

जिसका उत्तर 29.01.2026 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

190. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2026 तक विशेषरूप से महाराष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की अपेक्षित प्रगति और पूरा होने की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गुणवत्ता आश्वासन संबंधी चिंताओं का समाधान कर दिया है और निष्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की समय-सीमा की निगरानी करने और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं;

(घ) विभिन्न परियोजना श्रेणियों में राजमार्ग निर्माण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उपग्रह आधारित पथकर संग्रहण और इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों का कार्यान्वयन कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) आज तक, देश में 27,656 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाली 1242 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा महाराष्ट्र में, 2,761 किलोमीटर लंबाई वाली 126 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें से, मार्च 2026 तक 8,403 किलोमीटर की लंबाई वाली 405 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, महाराष्ट्र में 1,241 किलोमीटर की लंबाई वाली 61 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहलें की हैं: -

i. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाने के लिए नीति जारी की गई;
ii. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे कार्यों के लिए, कार्य पूर्ण होने के समय और उसके बाद हर छह महीने में नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एनएसवी) के माध्यम से सड़क स्थितियों का आकलन अनिवार्य है, जिसकी निगरानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। समर्पित केंद्रीय प्रकोष्ठ (सेल) के माध्यम से संचालन और रखरखाव के दौरान संविदागत प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए विश्लेषणात्मक विश्लेषण (एनालिटिक्स) का प्रयोग करते हुए, सड़क की स्थिति का आकलन के लिए एनएसवी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।
iii. ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्रित उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों का विश्लेषण ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में किया जाता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत है, ताकि समय-समय पर चल रहे राष्ट्रीय उद्यानों के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का आवधिक मूल्यांकन किया जा सके;
iv. परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्थिति और गुणवत्ता के नैदानिक आकलन के लिए गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक सहित चार राज्यों में गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) की प्रायोगिक तैनाती की गई है। इस पहल को कुछ और राज्यों में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
v. राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण (ऑडिट) के लिए तीसरे पक्ष के गुणवत्ता लेखा परीक्षकों (ऑडिटर्स) की तैनाती, मामला दर मामला के आधार पर की जाएगी।

(ग) सरकार निर्माण कार्य की प्रगति पर गहन निगरानी रख रहा है और परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं/अड़चनों को दूर करने और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्य सरकारों, ठेकेदारों/विकासकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और ठेकेदारों/विकासकर्ताओं के पास उपलब्ध धनराशि की तरलता में सुधार करने और प्रगति को गति देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा, कई राज्य सरकारें परियोजना कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित करती हैं। जिन परियोजनाओं में मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं, उन्हें परियोजना निगरानी समूह और "प्रगति" के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए भेजा जाता है।

(घ) उपरोक्त चल रही परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड नेशनल हाईवे कॉरिडोर का निर्माण,मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयनपक्की शोल्डर वाली दो लेन/चार लेन/छह लेन राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप सड़कें, स्वतंत्र सुरंगों, बाईपास, फ्लाईओवर, अंडरपास और पुलों का निर्माण, दीर्घकालिक सड़क सुरक्षा उपाय आदि शामिल हैं।

(ड़) सर्वोच्च समिति और उद्योग एवं शिक्षा जगत के विशेषज्ञों से गठित उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने सुरक्षा, गोपनीयता और समग्र परिचालन नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए उपग्रह आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली पर आगे विचार-विमर्श करने की सिफारिश की है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर उपग्रह आधारित प्रयोक्ता शुल्क संग्रह प्रणाली कहीं भी कार्यरत नहीं है। यद्यपि, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा खंडों पर उपलब्ध तकनीक के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पंजीकरण (एएनपीआर) आधारित बाधा-मुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) प्रणाली को फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है, जहां वाहन चालकों से प्रयोक्ता शुल्क बिना रुके, धीमा किए या ठहरे, किसी दिए गए शुल्क प्लाजा लेन में वसूला जाएगा।

कुशल परिवहन प्रणालियों के संबंध में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सभी 4/6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) लागू कर रहा है। एटीएमएस को उन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में भी लागू किया जा रहा है जिन्हें पहले स्वतंत्र रूप से या कार्यक्षेत्र परिवर्तन (सीओएस) के माध्यम से पूरा किया गया था। एटीएमएस में सीसीटीवी/एएनपीआर कैमरों की स्थापना शामिल है जो 24x7 वीडियो फुटेज कैप्चर करते हैं और इसकी निगरानी कमांड केंद्रों और टोल प्लाजा पर की जाती है।
